

संचालना

मानविकीय के समक्ष आत्म-प्राक्ति के दृष्टिकोण से ३१५
 अग्रिम वर्ष में विद्यालय कुर्स का अंत ३००८
 2022-23 का अधिकार बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अधिकार-
 अधिकार अनुसार एवं विद्यालय अमारी एवं अभियोग के
 अनुसार ०४/०१/२०२३ के अनुसार देवावेशी के ११५
 अनुसार एवं इसके अनुसार ।

अमारी - डॉ. आशय विहरी

प्राचीर - ① डॉ. श्रीमति वल्लभ गुप्त

② डॉ. गायत्री रेण्डार

③ श्री रवि शर्मा

④ श्री मनोज रेण्डार कोलहो

टीप :- ① इसी मी प्रधानमंत्री की आवेदन सार्व एवं विधायक 2022
 को २७ जने से अधिक नहीं होता - नामित ।

② १० जी. १२ एवं १५ विधायी उमा की अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश अधिकार देखे ।

③ अधिकारी की विभावनी न एवं देखें ।

Please

Principal
Govt. Naveen College
Berta, Dist. Bemetara

कानूनी
एवं विधायी
उत्तर प्रदेश



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग

(पूर्व नाम— दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका, दुर्ग

Email: registrar@durguniversity.ac.in

Website: www.durguniversity.ac.in

Rules & Regulation Youth Festival 2022-23

1. किसी भी प्रतिभागी की अधिकतम आयु (1 जुलाई 2022) को 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक प्रतिभागी को 10वीं, 12वीं तथा विश्वविद्यालय की पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति जमा करना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक महाविद्यालय विधा के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी/टीम का सम्पूर्ण विवरण एक प्रति में अंतमहाविद्यालयीन प्रतियोगिता के आयोजक महाविद्यालय (**इसकी सूचना पृथक से दी जावेगी**) तथा दूसरी प्रति विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में हार्डकॉपी एवं सापट कॉपी में 09 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

1. एकल शास्त्रीय गायन—

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रविष्टि स्वीकार होंगी।
- प्रस्तुतिकरण का अधिकतम समय 10 मिनट होगा।
- संगतकारों की अधिकतम संख्या 02 होगी।
- प्रतिभागी हिन्दुस्तानी शास्त्रीय अथवा कर्नाटक शास्त्रीय शैली में अपना प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं।
- फिल्मी गानों पर प्रस्तुतिकरण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- निर्णयकों द्वारा दिया जाना वाला निर्णय गायन के ताल, राग का चयन, उसका कम्पोजिशन तथा सामान्य प्रस्तुतिकरण प्रभाव पर आधारित होगा।

2. समूह गायन (हिन्दुस्तानी)—

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रविष्टि स्वीकार होंगी।
- एक टीम को 02 समूह गीत प्रस्तुत करने होंगे। जिनमें से पहला गीत देशभक्ति से संबंधित तथा दूसरा लोक गीत से संबंधित होगा।
- किसी महाविद्यालय के 01 समूह में अधिकतम 06 प्रतिभागी गायक हिस्सा ले सकते हैं, तथा वाद्य संगतकारों की संख्या अधिकतम 03 होगी।
- समूह गीत भारतीय गीतों में से चयनित किये जा सकते हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा के भी हो सकते हैं।
- फिल्मी गानों पर प्रस्तुतिकरण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- समूह गायन के लिए अधिकतम अवधि 10 मिनट होगी। इसमें गायन हेतु प्रारंभिक सेटिंग का समय समिलित नहीं होगा, परन्तु प्रारंभिक सेटिंग हेतु 04 मिनट से अधिक का समय प्रदान नहीं किया जायेगा।

- निर्णयकों द्वारा समूह गायन प्रतियोगिता का निर्णय केवल गायन की गुणवत्ता पर आधारित होगा। निर्णय में प्रतिभागियों द्वारा किया जाना वाला मेकअप, वेशभूषा अथवा टीम के सदस्यों के एकशन की कोई भूमिका नहीं होगी।

3. एकल शास्त्रीय नृत्य—

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रविष्टि स्वीकार होंगी।
- एकल शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत प्रतिभागी निम्न में से कोई भी एक नृत्य का चयन कर सकता है। जैसे— कथक, कथक कली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी नृत्य
- प्रतिभागी को प्रारंभिक तैयारी सहित कुल 15 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।
- प्रतिभागी के साथ अधिकतम 03 संगतकारों को संगत करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- निर्णयकों द्वारा दिये जाने वाला निर्णय नृत्य की गुणवत्ता जैसे— ताल, तकनीक, रिदम, अभिनय, अभिव्यक्ति, वेशभूषा, पैरों का संचलन तथा सामान्य प्रभाव पर आधारित होगा।
- प्रतिभागियों को अपने प्रस्तुतिकरण नृत्य तथा उससे जुड़े गीत से संबंधित संक्षिप्त विवरण की 03 प्रतियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

4. समूह लोकनृत्य/जनजाति नृत्य—

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रविष्टि स्वीकार होंगी।
- एक टीम में अधिकतम 10 प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। टीम में पूरे छात्र अथवा पूरी छात्राएं अथवा छात्र एवं छात्राएं दोनों प्रतिभागी हो सकते हैं।
- संगतकारों की अधिकतम संख्या 05 होगी।
- नृत्य भारतीय शैली में लोकनृत्य हो सकते हैं, परन्तु शास्त्रीय नृत्य नहीं।
- समूह लोकनृत्य/जनजाति नृत्य की अधिकतम अवधि 10 मिनट होगी।
- प्रतिभागियों को अपने प्रस्तुतिकरण नृत्य तथा उससे जुड़े गीत से संबंधित संक्षिप्त विवरण की 03 प्रतियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) रजिस्ट्रेशन के समय एंट्री फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रतिभागी टीम अपने प्रस्तुतिकरण के समाप्ति के पश्चात् अपने मंच पर अपने सेट तथा उपयोग की गई सामांगी को हटाने हेतु जिम्मेदार होगी।
- प्रतिभागियों को मंच पर अपने नृत्य से संबंधित सेट करने तथा उपकरणों की सेटिंग हेतु अधिकतम 05 मिनट प्रदान किये जायेंगे।
- निर्णयकों का निर्णय प्रतिभागियों द्वारा किये जाने वाले समूह नृत्य के रिदम, फॉर्मेशन, अभिव्यक्ति, वेशभूषा, मेकअप सेट्स तथा ओवरऑल प्रभाव पर आधारित होगा।

5. किंवज—

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रविष्टि स्वीकार होंगी। एक महाविद्यालय के टीम में अधिकतम 03 प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं।
- प्रथम चरण में प्रतिभागियों को लिखित किंवज प्रतियोगिता में शामिल होना अनिवार्य होगा। आयोजकों द्वारा गुणवत्ता के आधार पर फाइनल राउंड हेतु प्रतिभागी टीमों का चयन किया जायेगा।

- फाइनल राउंड में मौखिक रूप से तथा ऑडियो विजुअल के माध्यम से प्रतिभागी टीमों से प्रश्न पूछे जायेंगे।
- विवर प्रतियोगिता आरंभ होने के पूर्व आयोजकों द्वारा मनोनीत विवर मास्टर द्वारा प्रतियोगिता से संबंधित विशिष्ट नियम जैसे— मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रतिभागियों द्वारा उत्तर दिये जाने हेतु आवंटित किया जाना वाला अधिकतम समय तथा कुल राउंड की संख्या एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान की जावेंगी।

6. तात्कालिक भाषण(Elocution)-

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 वक्ता ही शामिल हो सकेंगे।
- प्रतिभागी हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है।
- प्रत्येक प्रतिभागी को अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम 05 मिनट का समय दिया जायेगा।
- प्रतियोगिता के विषय का चयन आयोजकों द्वारा टीम मैनेजर की बैठक में घोषित किया जायेगा।
- निर्णयकों द्वारा प्रतिभागी के संबंध में निर्णय एक भाषा हेतु किया जायेगा।
- प्रतिभागियों के भाग लेने का कम लॉटरी पद्धति से तय किया जायेगा।
- प्रतियोगिता का विषय कोई कविता अथवा गद्य पर आधारित हो सकता है परन्तु किसी गीत पर नहीं।

7. वाद-विवाद-

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 वक्ता ही शामिल हो सकेंगे।
- प्रत्येक संस्थान द्वारा 02 प्रतिभागी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे जिनमें पहला प्रतिभागी विषय के पक्ष में तथा दूसरा प्रतिभागी विषय के विपक्ष में अपना प्रस्तुतिकरण देगा।
- हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में प्रतिभागी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं।
- आयोजक महाविद्यालय द्वारा वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय आयोजन की तिथि से 24 घंटे पूर्व घोषित किया जायेगा।
- प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी बात रखने के लिए 05 मिनट का समय आवंटित होगा।
- प्रत्येक संस्थान के प्रतिभागी को विषय के पक्ष एवं विपक्ष में अपना विचार प्रस्तुत करना होगा।
- प्रतिभागी द्वारा कागज देखकर/पढ़कर प्रतियोगिता में अपने विचार की अभिव्यक्ति किये जाने की अनुमति नहीं है।

8. SKIT-

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 टीम ही शामिल हो सकेगी।
- एक टीम में अधिकतम 06 प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे।
- प्रत्येक टीम को अपने प्रस्तुतिकरण के लिए अधिकतम 10 मिनट का समय आवंटित किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के दौरान मेकअप, पर्दा तथा बैकग्राउंड म्यूजिक की अनुमति होगी।
- प्रस्तुतिकरण के दौरान किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप, चरित्रहनन, और विद्वेष पूर्ण भाषण आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

- प्रतिभागी टीम को अपने द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले स्क्रीट के संबंध में 03 प्रतियों में एक लिखित सिनाप्सिस रजिस्ट्रेशन के समय जमा करनी होगी। साथ ही यह भी उल्लेख करना होगा कि टीम द्वारा हिन्दी अथवा अंग्रेजी किस भाषा में प्रस्तुतिकरण किया जायेगा।
- निर्णयकों द्वारा लिया जाना वाला निर्णय की थीम की गुणवत्ता, अभिनय की गुणवत्ता, स्टेज काफट, डिजाइन तथा सामान्य प्रभाव आदि पर निर्भर करेगा।
- प्रस्तुतिकरण के दौरान किसी भी प्रकार का भद्रापन अथवा अश्लीलता बर्दास्त नहीं की जायेगी। केवल बिना किसी आक्षेप वाले हल्के-फुल्के मजाक ही स्वीकार्य होंगे।

9. On the Spot Painting-

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रतिभागी ही शामिल हो सकेगा।
- यह प्रतियोगिता आयोजन स्थल पर ही आयोजित की जायेगी तथा आयोजक महाविद्यालय द्वारा दिये गये विषय पर प्रतिभागी को पेन्टिंग निर्मित करना होगी।
- पैन्टिंग निर्माण के लिए प्रतिभागी को अधिकतम दो घंटे तीस मिनट की अवधि प्रदान की जायेगी।
- पैन्टिंग निर्माण की साइज इम्पीरियल साइज के ड्राइंग शीट का आधा हिस्सा अर्थात् 22 इंच गुणा 15 इंच होगी।
- पैन्टिंग का निर्माण ऑइल कलर, वॉटर कलर, पोस्टल अथवा पेस्टल कलर से किया जा सकता है।
- प्रतिभागी पेन्टिंग निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री जैसे— ब्रश, पेन्ट, ड्राइंग बोर्ड आदि को स्वयं अपने साथ लेकर आयेंगे।
- आयोजकों द्वारा केवल ड्राइंग शीट ही प्रदान की जायेगी।

10. Collage-

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रतिभागी ही शामिल हो सकेगा।
- प्रतियोगिता स्थल पर ही प्रतिभागी को आयोजकों द्वारा दिये गये विषय पर कोलाज निर्मित करना होगा। जिसकी साइज 22 इंच गुणा 15 इंच होगी।
- कोलाज निर्माण के लिए प्रतिभागी को अधिकतम दो घंटे तीस मिनट की अवधि प्रदान की जायेगी।
- प्रतिभागी द्वारा कोलाज निर्माण हेतु आवश्यक कैंची, चिपकाने वाले पदार्थ तथा अन्य आवश्यक सामग्री स्वयं लानी होगी।
- कोलाज को पुरानी पत्रिकाओं की सहायता से ही निर्मित किया जाये। आयोजक संस्था द्वारा कोलाज निर्माण हेतु प्रतिभागी को 22 इंच गुणा 15 इंच साइज की ड्राइंग शीट प्रदान की जायेगी।

11. Poster Making-

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रतिभागी ही शामिल हो सकेगा।
- प्रतियोगिता स्थल पर ही प्रतिभागी को आयोजकों द्वारा दिये गये विषय/टॉपिक/थीम पर पोस्टर निर्मित करना होगा। जिसकी साइज 22 इंच गुणा 15 इंच होगी।
- पोस्टर निर्माण के लिए प्रतिभागी को अधिकतम दो घंटे तीस मिनट की अवधि प्रदान की जायेगी।

- प्रतिभागी को पोस्टर निर्माण हेतु लगने वाली समस्त आवश्यक सामाग्री स्वयं लानी होगी। आयोजकों द्वारा केवल 22 इंच गुणा 15 इंच साइज की ड्राइंग शीट प्रदान की जायेगी।

12. Rangoli-

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रतिभागी ही शामिल हो सकेगा।
- रंगोली निर्माण के लिए प्रतिभागी को अधिकतम दो घंटे तीस मिनट की अवधि प्रदान की जायेगी।
- प्रतिभागी को रंगोली निर्माण हेतु लगने वाली समस्त आवश्यक सामाग्री स्वयं लानी होगी।
- रंगोली आर्ट को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों से जैसे— मंदना, अल्पना, आलेखन, कोलम / रंगोली आर्ट आदि से जाना जाता है। इसके लिए अभिव्यक्ति का प्रकार तथा माध्यम फी हैण्ड, पिकटोरियल अथवा वर्णनात्मक हो सकता है।
- रंगोली निर्माण हेतु केवल एक ही माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है जैसे— पोस्टर कलर, अथवा फुलों की पंखुड़ियां, अथवा लकड़ी का बुरादा, अथवा दाल या चावल को बिना चिपकाये बनने वाली ही स्वीकार्य होंगी।

13. Mehndi

- प्रत्येक महाविद्यालय से केवल 01 प्रतिभागी ही शामिल हो सकेगा।
- महेंदी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को समस्त आवश्यक सामाग्री स्वयं लानी होगी।
- महेंदी निर्माण के लिए प्रतिभागी को अधिकतम दो घंटे तीस मिनट की अवधि प्रदान की जायेगी।
- प्रतिभागी द्वारा बनायी जाने वाली महेंदी हथेली से लेकर कोहनी के मध्य हथेली से न्युनतम छ: इंच की लम्बाई की होना आवश्यक है।
- प्रतिभागी द्वारा जिस साथी मॉडल के हाथ पर महेंदी बनायी जायेगी उसे प्रतिभागी के विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है तथा इस साथी मॉडल के दोनों हाथों के हथेलियों पर महेंदी लगाना आवश्यक है।
- महेंदी निर्माण हेतु बाजार से निर्मित रेडीमेड डिजाइन अथवा किसी प्रकार का सांचा अथवा कोई सजावटी सामाग्री का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित हैं।

विशेष— सभी प्रतिभागियों को अंतमहाविद्यालयीन युवा उत्सव 2022–23 में शामिल होने के पूर्व समस्त नियमावली को पूर्ण रूप से पढ़कर उसी के अनुरूप प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। समस्त प्रतियोगिताओं में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा मनोनीत निर्णयकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। प्रतिभागियों द्वारा निर्णय को लेकर आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा किसी भी प्राध्यापक/कर्मचारी से किसी भी प्रकार का विवाद पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार का कदाचरण किये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित प्रतिभागी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। किसी भी प्रकार के विवाद संबंधी बिन्दु पर विचार विमर्श कर अंतिम निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गई है।

क्र	पद	विवरण
1	कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	अध्यक्ष
2	कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	सचिव
3	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	सदस्य
4	डीसीडीसी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग	सदस्य
5	प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य	सदस्य
6	आयोजित प्रतियोगिता के प्रभारी प्राध्यापक	सदस्य

किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग की कुलपति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। यह भी आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक विधा में अंतमहाविद्यालयीन स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी/टीम को जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की टीम में शामिल किया जाये। जोनल स्तरीय स्पर्धा 2023 जो कि गुलबर्गा विश्वविद्यालय, कर्नाटक में आयोजित होने वाली है इसमें विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम का चयन गुणवत्ता के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।


29/12/22
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग


कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग